संपादकीय

आमंत्रण का अधिनियम

नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिक्खों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, पारसियों को भारतीय नागरिकता देने की समय-सीमा ग्यारह साल से घटकर पाँच साल हो गई है। संशोधन इस प्रकार है - *'Provided that for the person belonging to Hindu, Sikh, Budhist, Jain, Parsi or Christian community in Afganistan, Bangladesh or Pakistan, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be read as not less than five years in place of not less than eleven years.'* इस प्रकार 31 दिसंबर, 2014 के पहले से रह रहे इन देशों के लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। इस संशोधन से मुसलमानों को अलग रखा गया है, क्योंकि वे वहाँ बहुसंख्यक हैं। नागरिकता प्रदान करने का जो सामान्य विधान है, उससे छेड़छाड़ न करने का तात्पर्य है कि जो पुराना प्रावधान है, वह विदेशी मुस्लिमों पर यथावत लागू है। उन प्रावधानों के अंतर्गत, जैसा कि भारत सरकार का कहना है, पिछले साढ़े पाँच साल में छह सौ से अधिक मुसलमानों को नागरिकता दी गई है। नए संशोधन से बाहर रखे जाने पर मुस्लिमों को एतराज है। उनकी माँग है कि संशोधन में मुसलमानों को भी स्थान दिया जाए; इस कानून में धर्म-मजहब, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव है, जो भारत के संविधान की मूल आत्मा के प्रतिकूल है। यह पूरा मामला न्यायालय में कई अलग-अलग मुकदमों के रूप में दर्ज होकर विचाराधीन है। यद्यपि कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संसद को प्राप्त है, पर विवाद की स्थिति में न्यायालय ही तय कर सकता है कि कानून संविधानसम्मत है या नहीं।

सरकार का तर्क है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश में मुस्लिम धार्मिक आधार पर प्रताड़ित नहीं होते, इसलिए उन्हें अलग रखा गया है। यह सही है कि इन देशों में अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना होती है, पर अल्पसंख्यकों का अपना स्वविवेक है कि वे वहाँ हैं। इसे लेकर कानून तो पहले से है, पर जो नहीं आना चाहते या नहीं आ पाए - यह उनकी मर्जी या समस्या है। अत्याचारी मानसिकता वाले कम ही होते हैं, लेकिन कम होने पर भी समाज में उन्हीं की चलती है। भारत में कानून व्यवस्था अपेक्षाकृत ठीक होने तथा आर्थिक समृद्धि होने के कारण रोजगार के अवसर तलाशने वाले पड़ोसी देश के बहुसंख्यक मुस्लिम भी कुछ होंगे, लेकिन किसी को इस आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती, हालाँकि बहुत-सारे लोगों को इन्हीं आधारों पर विदेशों में नागरिकता हासिल है। भारत की अपनी समस्या है, यह न कोई सराय है, न धर्मशाला या रैन बसेरा, पर वहाँ भी नाम-पता और ठहरने का वाजिब कारण बताना होता है और थोड़ा ही सही, शुल्क देना पड़ता है। भारत में जनसंख्या के आधिक्य के साथ आतंकवाद मुख्य चुनौती है। इस कारण प्रायः अच्छी से अच्छी योजनाएँ, व्यवस्थाएँ चर्रमरा जाती हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद जनसंख्या पर लगाम नहीं लग सका है, जबकि इस पर सालाना खरबों रुपए खर्च होते हैं। नागरिकता कानून पाँच की जगह ग्यारह साल की शर्त के साथ पहले से है, तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश से वैध-अवैध तरीकों से आए अल्पसंख्यकों की नारकीय जिंदगी को देखते हुए भी चालीस-पचास साल तक नागरिकता देने के लिए इंतजार कराने का तुक क्या है। यह कानून की कमजोरी से अधिक उसके अनुपालन करने वाली व्यवस्था की कमी है। स्वतंत्रता के बाद लगभग सभी प्रमुख दलों की अकेली या संयुक्त सरकारें रही हैं, भले वह एक-आध साल की हों या पाँच-दस साल अथवा चालीस-पचास साल तक की। यदि ग्यारह साल की शर्त का ही ठीक से पालन हुआ होता तो वहाँ से स्वर्ग का सपना लेकर भागे आए लोगों को बुनियादी जरूरतों का अभाव लंबे अरसे तक नहीं झेलना पड़ता। क्या गारंटी है कि नागरिकता देने में पुरानी पेचीदगी आड़े नहीं आएगी? जो वैध रास्ते से आना चाहें, उनके लिए भी मजबूत बैरियर तो होना ही चाहिए। एक सुदृढ़ तंत्र जरूरी है, जो निश्चित अवधि में नागरिकता पर निर्णय कर सके।

नए संशोधन को लेकर विरोध है कि सरकार हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, पारसियों को सायास आमंत्रित कर रही है और मुस्लिमों के प्रति कठोर नजरिया अपना रही है। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों और

शिया समुदाय के साथ भी भेदभाव होता है, इसी प्रकार वर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम तथा कुछ हद तक हिंदुओं पर और श्रीलंका में ईसाइयों तथा तमिलों का उत्पीड़न होता है, इन्हें नजरअंदाज करने पर सवाल है। भारत में हिंदुओं के बाद मुस्लिम दूसरे स्थान पर हैं, इसलिए संसाधनों के लिए निकटतम प्रतिस्पर्द्धी भी हैं। पहले से ही उन्हें हिंदूबहुलता की भावनाओं का सामना करना पड़ा है, ऊपर से सरकार और-अधिक गैर-मुस्लिमों के आगमन को प्रोत्साहित कर बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ा रही है; इससे अल्पसंख्यक मानसिकता में असुरक्षा की भावना का उद्दीप्त होना लाजिमी है। अल्पसंख्यक मुस्लिम भारत में और अल्पसंख्यक होंगे - यह संशोधन विरोधियों को भय है। सरकार लाख आश्वासन दे कि यह संशोधन नागरिकता लेने के लिए नहीं, देने के लिए है, पर विवाद की जड़ देने-लेने से अधिक किसे दिया जा रहा है और किसे नहीं दिया जा रहा है, इस पर अधिक टिका है। अगर मुस्लिमों को शामिल किया गया होता, तब विरोध सशक्त नहीं होता। किसी विदेशी को मानवीयता के आधार नागरिकता देना-न देना सरकार का दायित्व है, लेकिन किसी भी रूप में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार इस मामले में भेदभाव कर रही है अथवा किसी संप्रदाय-विशेष या क्षेत्र-विशेष के लोगों को जानबूझकर प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित कर रही है। इस क्रम में घुसपैठ भारत के लिए चिंताजनक समस्या है, इसलिए नागरिकता का रजिस्टर बनना चाहिए, लेकिन दस्तावेज के नाम पर अपने नागरिक को चाहे वह किसी भी धर्म-जाति का हो, परेशान होने का कोई कारण नहीं दिखता और न इस आधार पर कोई नागरिकता से बेदखल हो सकता है। घुसपैठ रोकने के लिए सीमाओं की सख्त निगरानी आवश्यक है, नहीं तो एक बार आ जाने के बाद घुसपैठिए अपने वतन को लौटना नहीं चाहते और पड़ोसी देश इन्हें स्वीकार करते भी नहीं। अंततः घूमफिरकर उन्हें यहीं रखना पड़ता है। सभी नागरिकों का पुख्ता डाटा एवं पंजिका बनाना और उन्हें परिचय पत्र देना नितांत आवश्यक है तथा घुसपैठियों के प्रति सतर्क रहने की भी जरूरत है, ताकि उन्हें किसी भी कीमत पर प्रवेश न मिल सके।

विभाजन के समय यह तय नहीं हुआ था कि भारत हिंदुओं का और पाकिस्तान, जिसमें बंगला देश भी संयुक्त था, वह मुस्लिमों का होगा, बल्कि यह निश्चित हुआ था कि जहाँ जिसकी रहने की इच्छा-रुचि हो, वहाँ रह सकता है। अगर हिंदू पाकिस्तान में हैं तो यह उनकी इच्छा थी; जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, यह उनका फैसला है, न कि किसी प्रकार के दबाव का परिणाम। हालाँकि बहुतों के लिए आने-जाने की व्यावहारिक कठिनाइयाँ या मजबूरियाँ तब भी थीं और अब भी हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग चाहकर भी दूसरी जगह नहीं जा सके या नहीं जा पाते। अनेक राष्ट्र वर्तमान समय में भी धार्मिक भावनाओं-विधानों से चल रहे हैं, परंतु उनसे भारत की तुलना नहीं हो सकती। नियम-कानून फिर भी भेदभाव कर सकता है, किंतु धर्म अपने वास्तविक सरोकारों में कभी भेदभाव नहीं बररता, यद्यपि उससे दूसरा धर्म भेद करता है, पर वह धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं होता। भाजपा का मुस्लिमों में जनाधार कमजोर है, जबकि जिन दलों की मुसलमानों में अच्छी पैठ है, वे इस संशोधन के विरोध में खड़े हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश के गैर-मुस्लिमों के साथ वहाँ की सरकार और बहुसंख्यक मुस्लिमों का दायित्व है कि वे आधुनिक नजरिया अपनाएँ, ताकि कोई इसलिए विस्थापित न हो कि वह एक धर्म-विशेष का नहीं है। सरकारों को अपने अल्पसंख्यकों पर ज्यादती नहीं होने देना चाहिए। आखिर अल्पसंख्यक होकर भी मुस्लिम बहुत-सारे देशों में मजे से हैं तो फिर मुस्लिमबहुल पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग क्यों नहीं मजे से रह सकते। जो गैर-मुस्लिम वहाँ स्वेच्छा से रह रहे हैं, उन्हें भी खम ठोक कर रहना चाहिए। एक बार राजद नेता लालू यादव जब पाकिस्तान गए थे, तो वहाँ मजाक में ही सही, उनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ लें तो जीत जाएँगे। आखिर लालू यादव भारतीय हिंदू ही हैं। अस्तु, जो वास्तव में प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में रहने की इच्छा व्यक्त करे, संसाधनों को ध्यान में रखकर उसे त्वरित मानवीय सहयोग दिया जाना चाहिए, किंतु किसी भी हालत में गैर-मुस्लिमों के आयात को आमंत्रित-प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए। केवल यह सोचकर कि वे मुस्लिम नहीं हैं, उनका आना निरापद नहीं हो जाता।